न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 79/2021 बउनवानी विनोद कुमार शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ पुत्र श्री किशोरी लाल शर्मा, निवासी 22 इन्दिरा कॉलोनी मानटाउन,स0मा0

GCMS No-2021/243

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.10.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। सहायक लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ को अन्तरित किया जाकर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर को कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक/समाधान/प्रकोष्ठ(638)/2020/504 दिनांक 13.7.2021 मे उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 के क्रम में रिपोर्ट मय राजस्व अभिलेख की बिन्दुवार स्पष्ट रूप से अलग—अलग जवाब की सत्यापित प्रति आवेदक को चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/समाधान/763—64 दिनांक 11.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.7.2021 मे चाही गयी सूचना आयुक्त नगर परिषद से प्राप्त नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। उक्त संबंध मे आयुक्त नगर परिषद को प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ की ओर से लिखे गये पत्र क्रमांक 695 दिनांक 22.9.2021 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 720 दिनांक 4.10.2021 की प्रति अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड/रिपोर्ट आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर से समाधान अनुभाग में प्राप्त नही होने के कारण समाधान अनुभाग से अपीलान्ट को उक्त संबंध मे कोई सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। उक्त संबंध में समाधान प्रकोष्ठ द्वारा आयुक्त नगर परिषद को लिखे गये पत्र क्रमांक 695 दिन[illegible]2021 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 720 दिनांक 4.10.2021 की प्रति अपीलान्ट को भिजवायी [illegible] है। शेष सूचना अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर के का[illegible]मान अनुभाग मे उपलब्ध सूचना अपीलान्ट को दी जा चुकी[illegible] खारिज किया जान[illegible]त समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की ज[illegible] है। पत्रावली फैसल [illegible]होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.29 19:12:47 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर